न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–7, इलाहाबाद／लोक अदालत।
मुकदमा एफ0आर0नं0–391／2020
राधेश्याम भारतीया..............बनाम...............अज्ञात।

<u>दिनांक–13.08.2022</u>

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वादी मकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसने चोरी की अज्ञात में धारा–379 भा0दं0सं0 की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है, उसे विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है। वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। वादी मुकदमा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा को प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः **मु0अ0सं0–522／2017, धारा–379 भा0दं0संव, थाना फूलपुर, प्रयागराज** के मामले में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–7, इलाहाबाद।